

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)(छ.रा.वि.कं.मर्या. का एक उत्तरदायी कम्पनी)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता(अ.उ.दा.निर्माण)संभाग,छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या.,तिफरा बिलासपुर

क्रमांक का.अ./अ.उ.दा./निर्माण/संभाग/1162

बिलासपुर, दिनांक 27-11-20

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल, रायगढ़ (छ.ग.ग.)

विषय:-छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्या. की 220/130 के.व्ही. उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. कोरीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण कार्य बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत 220/130 के.व्ही. उपकेंद्र गेरवानी से मेसर्स इरकॉन हेतु प्रस्तावित टी. एस.एस. ग्राम-कोरीछापर जिला-रायगढ़ तक हेतु कुल क्षेत्र 7.011 हेक्टेयर है। रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु 44 check list आवेदन पूर्ण कर अग्रित कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रस्तुत है।

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. बिलासपुर

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, अ.उ.दा.(नि.एवंसं.) वृत्त, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. बिलासपुर।